

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 12/10

संस्थित दिनांक-08.01.10

राज्य द्वारा आबकारी विभाग

वृत्त गोहद जिला-भिण्ड (म०प्र०)

विरुद्ध

रमजान पुत्र मुन्ना खां मुसलमान

उम्र 37 साल, निवासी गोहद जिला भिण्ड

.....अभियोगी

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 20.10.16 को घोषित}

अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम 1860 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 34-1-क के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.01.10 को पुराना बस स्टैण्ड गोहद स्थित रमजान खां की दुकान पर अपने आधिपत्य में 180 एम०एल० प्लेन मदिरा के 43 पाव रखे हुए पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07.01.10 को आबकारी उपनिरीक्षक राकेश शर्मा दौरान गश्त किसी सूचना पर बस स्टैण्ड गोहद स्थित दुकान पर पहुंचे जहां पर अभियुक्त रमजान उपस्थित मिला, तलाशी के बारे में पूछने पर थोड़ी ना नुकुर के बाद तैयार हुआ। तलाशी करने पर अभियुक्त के कब्जे से 43 पाव प्लेन मदिरा लेबिल लगे जिनमें प्रत्येक में करीब 180 एम०एल० कुल 7740 एम०एल० शराब बिना किसी वैध आज्ञापत्र के अपने पास रखे पाए गए। समक्ष गवाहान शराब की जांच उपरांत सील्ड किया गया। जब्ती पत्रक बनाया, गिर० पत्रक बनाया, जमानत मुचलका पेश करने पर छोड़ा गया। समस्त कार्यवाही उपरांत अभियोग/परिवाद प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त दिनांक 07.01.10 को पुराना बस स्टैण्ड गोहद स्थित रमजान खां की दुकान पर अपने आधिपत्य में 180 एम०एल० प्लेन मदिरा के 43 पाव रखे हुए पाया गया?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में परशराम शर्मा अ०सा० 1, अरविंदसिंह कुशवाह अ०सा० 2, राकेश शर्मा अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्षी हसीन खां को पेश किया गया है।

6. प्रकरण में राकेश शर्मा अ०सा० 3 जो कि दिनांक 07.01.2010 को आबकारी वृत्त गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हैं, यह बताते हैं कि उक्त दिनांक को सांय करीब 7:45 बजे गोहद में गश्त कर रहे थे उसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति शराब बेचते मिला जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास 43 पाव सफेद मदिरा के मिले जिन्हें समक्ष गवाहान जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 2 बनाया था। मौके पर मदिरा का परीक्षण किया और उसके उपरांत अभियुक्त को गिर० कर गिर० पंचनामा प्र०पी० 3 बनाया था जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। दुकान का तलाशी पंचनामा प्र०पी० 1 बनाए जाने उस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में तलाशी पंचनामा प्र०पी० 1 तथा जब्ती पंचनामा प्र०पी० 2 के साक्षी परशराम शर्मा अ०सा० 1 तथा अरविंदसिंह कुशवाह अ०सा० 2 हैं। परशराम अ०सा० 1 अभियुक्त को नहीं जानते न ही उनके समक्ष आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करना व उससे शराब जब्त किए जाने के संबंध में कोई कथन करते हैं, प्र०पी० 1 लगायत 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार करते हैं परंतु उक्त हस्ताक्षर आबकारी उपनिरीक्षक के कहने पर स्वयं गोहद में शराब के ठेके पेर कैशियर के रूप में पदस्थ होने के कारण किया जाना बताते हैं।

7. प्रकरण में साक्षी परशराम अ०सा० 1 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर उससे सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें वह उसके सामने अभियुक्त से 43 पाव शराब जब्त किए जाने एवं अभियुक्त की गिर० किए जाने के संबंध में सुझाव देने पर इंकार करते हैं तथा हस्ताक्षर आबकारी उपनिरीक्षक के कहने पर करना बताते हैं। अरविंद सिंह अ०सा० 2 दिनांक 07.1.10 को आबकारी वृत्त गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हैं जो यह बताते हैं कि वे उपनिरीक्षक राकेश शर्मा के साथ गश्त पर गए थे, अचानक सूचना पर पुराना बस स्टैंड गोहद स्थित दुकान पर पहुंचे जहां अभियुक्त रमजान खां मिला था, तलाशी कर उसके पास से 43 पाव देशी शराब तथा उसकी जब्ती कर जब्ती पत्रक व गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाए जाने के कथन किए हैं। प्र०पी० 1 लगायत 3 पर साक्षी बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं।

8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही की गयी है, किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रकरण में प्र०पी० 1 लगायत 3 में जो साक्षी बनाए गए हैं उनमें अरविंद अ०सा० 2 स्वयं आबकारी विभाग में पदस्थ आरक्षक है तथा दूसरा साक्षी परशराम शर्मा न्यू हाउसिंग बोर्ड कोलोनी मुरैना का रहने वाला है जो कि शराब ठेके पर कैशियर के पद पर कार्यरत होना बताता है।

अनुसंधानकर्ता/जब्तीकर्ता राकेश शर्मा अ०सा० 3 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करता है कि बस स्टैण्ड पर काफी ठेले और दुकानें लगते हैं किन्तु उन्हें याद नहीं है कि मौके पर कौन कौनसी दुकानें हैं, यह भी स्वीकार करते हैं कि मौके पर काफी लोगों का आना जाना किन्तु इस सुझाव से इंकार करते हैं कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने उनके कहने पर हस्ताक्षर नहीं किए। साक्षी अरविंद अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में अभियुक्त की दुकान पक्की बनी होने जिसके बाहर अण्डे का ठेला लगाने का कथन करते हैं किन्तु आस पास किनकी दुकानें बनी हैं यह जानकारी न होना बताते हैं। जिस समय वे लोग गए उस समय आस पास की दुकानें खुली थी किन्तु यह साक्षी यह बताने में अस्मर्थ हैं कि आस पास के किसी व्यक्ति को गवाह क्यों नहीं बनाया गया और स्वतः कथन करते हैं कि आसपास के लोग गवाह बनने को तैयार नहीं होते। किन्तु प्रकरण में आसपास के किसी व्यक्ति द्वारा साक्षी बनने से इंकार किया गया हो ऐसा उल्लेख अभियोजन के दस्तावेजों में नहीं हैं। ऐसे में स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभिकथित कार्यवाही की पुष्टि न किया जाना एक संदेहपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभियोजन साक्षियों विशेष कर पुलिस या आबकारी कर्मचारियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जावे किन्तु उनकी साक्ष्य भी साधारण साक्षियों की भांति प्रकरण में तथ्यों की संपुष्टि तथा सुसंगतता के माध्यम से अपराध प्रमाणित करती हो, इस संबंध में अभिलेख पर तथ्य होना आवश्यक है।

9. प्रकरण में राकेश शर्मा अ०सा० 3 जो जब्तीकर्ता हैं, वे अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि गश्त के लिए वे लोग 6:15 बजे निकले थे और उनका रूटीन गश्त था, इसी कण्डिका में बताते हैं कि उन्हें किसी ने सूचना दी थी कि आरोपी शराब बेच रहा है किन्तु आज नहीं बता सकते स्वतः कथन करते हैं कि पब्लिक के कई लोग कह रहे थे कि आरोपी शराब बेच रहा है और आप यहां खड़े हैं। अरविंद अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उपनिरीक्षक को सूचना कैसे मिली जबकि यह साक्षी गश्त के लिए साथ जाना बताता है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि राकेश शर्मा अ०सा० 3 जो कि शाम को 6:15 बजे गश्त के लिए चलना बताते हैं वहीं अरविंदसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में गश्त के लिए 5 बजे चलना बताते हैं। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। यदि दोनों साक्षी गश्त के लिए साथ गए थे तो उनके रवाना होने का समय अलग अलग कैसे हो सकता है साथ ही यदि राकेश शर्मा अ०सा० 3 को जनता के लोगों में से किसी ने सूचना दी तो अरविंद अ०सा० 2 को ऐसी सूचना की जानकारी क्यों नहीं हुई कि किससे सूचना मिली थी।

10. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी हसीन खां ब०सा० 1 को प्रस्तुत किया गया है जो यह बताते हैं कि दिनांक 07.01.10 को पुलिस वाले आकर अभियुक्त रमजान को पकड़ ले गए थे। अभियुक्त उसके बगल में अण्डे का ठेला लगाता है। यह साक्षी पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़

ले जाने की बात बताता है और इस साक्षी को घटना दिनांक 07.01.10 के अतिरिक्त अन्य कोई तिथि याद भी नहीं हैं। साक्षी 8 बजे तक फल का ठेला लगाने की बात बताता है और प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही 8 बजे के बाद की बताई गयी है ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं मिलता है। प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी, आबकारी विभाग द्वारा मिथ्या रूप से प्रपी0 1 लगायत 3 के दस्तावेज तैयार किए गए हैं। राकेश शर्मा अ0सा0 3 का कथन इस संदर्भ में सुसंगत है जो कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि जब वे कार्यालय से कार्य करने आते हैं तब उनके कार्यालय में जो दैनंदिनी रहती है उसमें प्रविष्टि की जाती है और यह स्वीकार करते हैं कि उक्त दैनंदिनी की कोई नकल प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हैं। अरविंदसिंह अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि घटना दिनांक को गश्त पर जाते समय रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी थी या नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है और कथन करते हैं कि उपनिरीक्षक अर्थात् राकेश शर्मा अ0सा0 3 को जानकारी होगी। इस प्रकार से अभियोजन साक्षियों द्वारा विशेषकर जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा गश्त के लिए रवाना होने और वापसी के संबंध में कोई भी आधार प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रपी0 1 लगायत 3 के दस्तावेजों में भी कहीं भी रवाना होने के संबंध में दैनंदिनी की पंजी की कोई सुसंगत प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की है।

11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके आधिपत्य से कोई शराब जब्त नहीं हुई, न ही उसने कोई शराब अपने पास रखी। प्रकरण में अभियुक्त के पास से 43 पाव देशी प्लेन शराब जब्त होना बताई गयी है। अभिकथित शराब मौके पर सीलड किए जाने के संबंध में प्रपी0 2 के जब्ती पत्रक में उल्लेख किया गया है किन्तु मौके पर सीलड किए जाने के संबंध में उस पर कोई नमूना सील अंकित किया गया हो ऐसा तथ्य संपूर्ण अभियोजन दस्तावेजों में नहीं हैं। ऐसे में प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से अवैधानिक रूप से शराब की जब्ती के संबंध में सारवान विरोधाभास अभियोजन दस्तावेजों से दर्शित है।

12. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक दिनांक 07.01.10 को पुराना बस स्टैण्ड गोहद स्थित रमजान खां

की दुकान पर अपने आधिपत्य में 180 एम0एल0 प्लेन मदिरा के 43 पाव रखे हुए पाया गया।। अतः अभियुक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र हैं। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34-1-क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

14. जब्तशुदा देशी प्लेन मदिरा के 43 पाव अस्वास्थ्यकर एवं मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश